16.4.18 पत्रावली पेश हुइ
अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी, उभयपक्ष/उप.
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
पत्रावली वास्ते [illegible]
आगामी पेशी दिनांक 25.5.18
पेश हो

25/5/18 पत्रावली पेश हुई
अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी, उभयपक्ष/उप.
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
पत्रावली वास्ते बहस सुनी बाद आदेश
आगामी पेशी दिनांक
पेश हो

4/6/18 पत्रावली पेश हुई। वादीगण का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। [illegible] राजीनामा डिक्री का जुज रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।
आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

3

ालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़
ीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर.ए.एस.
स्व वाद संख्याः—198 सन् 2017

1. मेनपाल 2. वशीलाल पिसरान श्री रिड़माल, अकवाम जाट, साकिनान रामसरानारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़—

—वादीगण—

बनाम

1. रिड़माल सिंह पुत्र स्व श्री हंसराज, जाति जाट, निवासी रामसरानाराण, तहसील व जिला हनुमानगढ़—
2. राजस्थान, स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़—

—प्रतिवादीगण—

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए घोषणा तकसीम खाता।

स्थितः—

1. श्री श्योप्रकाश जाखड़—अधिवक्ता—वादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

निर्णय दिनांकः— 4.6.18

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद घोषणात्मक एवं खाता विभाजन हेतु दिनांक 06.06.2017 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या—1 के नाम तहसील हनुमानगढ के चक एसएसडब्ल्यू के खाता संख्या—86/83 जमाबंदी सम्वत 2071—2074 की तादादी 961 हैक्टेयर व खाता संख्या — 100/30 जमाबंदी सम्वत 2071—2074 की तादादी 771 हैक्टेयर व चक 21 एचएमएच (ए) के खाता संख्या—80/67 की जमाबंदी सम्वत् 2071—2074 की तादादी 2.125 हैक्टेयर मय गै.मु. कुल तादादी 5.857 हैक्टेयर भूमि राजस्व में दर्ज है, का वाद पत्र की मद नं. 3 में अंकित विवरण अनुसार घोषणा कर खाता विभाजन किया जावे।

वाद वादीगण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 ने स्वैच्छिक रूप से पारिवारिक सदभाव कायम रखने के उद्देश्य से दिनांक 14.07.2017 को न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया। प्रतिवादी नं. 2 स्टेट के विरूद्ध कोई रिलिफ नहीं चाही गई है। इसलिए तलबी की आवश्यकता नहीं होने से तलबी नहीं करवाई गई।

विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्ववान अभिभाषक वादीगण ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की कृषि भूमि है। वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त परिवार की कृषि भूमि है। वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1, 2 ने स्वैच्छिक रूप से पारिवारिक संदभाव कायम रखने के उद्देश्य से दिनांक 14.07.2017 को राजीनामा पेश किया है जो न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है। वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री फरमाया जावे। अपने तर्क की पुष्टि में वाद के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र वादीगण बतौर दस्तावेज सबूत नकल जमावंदी चक 22 एसएसडब्लयू सम्वत् 2071—2074 खाता संख्या 86/83, 100/30 व नकल जमावंदी चक 21 एचएमएच (ए) के खाता संख्या 80/67 व राजीनामा दिनांक 14.07.2017 व माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे 1998 पेज 615, एआइआर 1976 पेज 807, आरबीजे 1994 पेज 134, 135 की ओर ध्यान आकर्षित किया।

लगातार 2

(Gh

उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के गहन अध्ययन करने एवं माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त पर मनन करने उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 ने मुताबिक राजीनामा वादपत्र का निस्तारण करने से सहमति दी है। वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा काबिल अन्तिम डिक्री है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा दिनांक 14.07.2017 अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त भूमि में से वादीगण को चक 22 एसएसडब्ल्यू के खाता संख्या 100/30 जमाबंदी सम्वत 2071–74 की 1.771 हैक्टयर व चक नं. 21 एचएमएच (ए) के खाता संख्या 80/67 की 2.125 हैक्टयर मय गै.मु. भूमि के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है तथा चक 22 एसएसडब्ल्यू के खाता संख्या 86/83 जमाबंदी सम्वत् 2071–74 की तादादी 1.961 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी यथावत रहेगी। मुताबिक घोषणा एवं राजीनामा अनुसार चक 22 एसएसडब्ल्यू के खाता संख्या–100/30 के पत्थर नम्बर 120/315 (46) के किला नं. 6, 7, 11 ता 15 की तादादी 1.771 हैक्टयर व चक 21 एचएमएच (ए) के खाता संख्या 80/67 जमाबंदी सम्वत् 2071–74 के प.नं. 113/285(15) किला नं. 16, 25, प.नं. 114/285(16) किला नं. 20, 21 प.नं. 114/286(21) किला नं. 1, 10, 11/1/.063 हैक्टयर, प.न. 113/286(22) के किला नं. 5,6, 15/1 की .038 हैक्टयर कुल 2.125 हैक्टयर कुल 3.896 हैक्टयर मय गै.मु. खाला भूमि वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी रहेगी तथा चक नं. 22 एसएसडब्ल्यू के खाता संख्या– 86/83 के प.नं. 119/312(34) के किला नं. 14,15,16,17,24,25, प.नं. 119/313(37) किला नं. 4 सालम, 5/.190 हैक्टयर कुल 1.961 हैक्टयर मय गै.मु. खाला प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान बाद रहन मुक्त अलग–अलग कायम किया जावे। तादाद 100/– रूपये का स्टाम्प तकमिलन वक्त इजराय शामिल फाईल करवाया जावे। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावे। व्यय वाद उभय पक्ष वादीगण/प्रतिवादीगण स्वंय अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिहं पुरोहित)
सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी
(राजस्व) हनुमानगढ़
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

5

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः—सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम :—सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्याः—198 सन् 2017

1. मेनपाल 2. बंशीलाल पिसरान श्री रिड़माल अकवाम जाट, साकिनान रामसरानारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—वादीगण——

बनाम

1. रिड़माल सिह पुत्र स्व श्री हंसराज, जाति जाट, निवासी रामसरानारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़—
2. राजस्थान, स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़—

—प्रतिवादीगण——

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट बाबत घोषणा तकसीम खाता।
प्रकरण संख्या 198 सन् 2017 निर्णय दिनांक 4.6.18

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित आर.ए.एस. के समक्ष अभिभाषक वादीगण श्री श्योप्रकाश जाखड़ की उपस्थिति मे निर्णार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा दिनांक 14.07.2017 अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त भूमि में से वादीगण को चक 22 एसएसडल्यू के खाता सख्या 100/30 जमाबंदी सम्वत् 2071—74 की 1.771 हैक्टयर व चक न. 21 एचएमएच (ए) के खाता सख्या 80/67 की 2.125 हैक्टयर मय गै.मु. भूमि के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है तथा चक 22 एसएसडब्ल्यू के खाता संख्या 86/83 जमाबंदी सम्वत् 2071—74 की तादादी 1.961 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी यथावत रहेगी। मुताबिक घोषणा एव राजीनामा अनुसार चक 22 एसएसडब्ल्यू के खाता संख्या—100/30 के पत्थर नम्बर 120/315 (46) के किला नं. 6, 7, 11 ता 15 की तादादी 1.771 हैक्टयर व चक 21 एचएमएच (ए) के खाता संख्या 80/67 जमाबंदी सम्वत् 2071—74 के प.नं. 113/285(15) किला न. 16, 25, प.न. 114/285(16) किला नं. 20, 21 प.न. 114/286(21) किला नं. 1, 10, 11/1/.063 हैक्टयर, प.नं. 113/286(22) के किला नं. 5,6, 15/1 की .038 हैक्टयर कुल 2.125 हैक्टयर कुल 3.896 हैक्टयर मय गै.मु.खाला भूमि वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी रहेगी तथा चक नं. 22 एसएसडब्ल्यू के खाता संख्या— 86/83 के प.न. 119/312(34) के किला नं. 14,15,16,17,24,25, प.नं. 119/313(37) किला न 4 सालम 5/.190 हैक्टयर कुल 1.961 हैक्टयर मय गै.मु. खाला प्रतिवादी सख्या 1 की खातेदारी रहेगी। इसी अनुसार [illegible] रिकार्ड में खाता व लगान बाद रहन मुक्त अलग—अलग कायम किया जावे। तादाद 100/— रूपये का स्टाम्प तकमिलन वक्त इजराय शामिल फाईल करवाया जावे।

व्यय वाद उभयपक्ष वादी—प्रतिवादीगण स्वंय अपना—अपना वहन करेगे। आज दिनांक 4.6.18 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner